

22.12.25

पत्रावली आज वारी संख्या 2 के तलवी
 प्राचीन फर या प्रस्तुत हुई। वारी संख्या 2
 डिपॉजिट उनकी पहचान उनके वकील श्री
 अरुण कुमार उद्येती ने की। वकील वारी
 संख्या 2 ने उसकी ओर से प्राचीन फर
 आदेश 23 नियम। CPC प्रस्तुत किया और
 दावा नहीं चलाने एवं अनुरोध अपन नहीं
 करना चाहते हैं का कथन किया एवं दावा
 इसी स्तर पर खारिज कराना चाहते हैं।
 वकील काउण्टर क्लेम संख्या 2 की ओर
 से उनके वकील निशोत भागति ने काउण्टर
 क्लेम जोरपेस किया। दावा के वादीगण
 द्वारा अपना दावा विद्वो करने का निवेदन
 किया है, और प्रतिवारी संख्या 2 की ओर
 से उनके वकील ने काउण्टर क्लेम जोरपेस किया
 है।

प्राचीन फर 023 R। CPC के प्रावधानों के
 अन्तर्गत दावा किसी भी स्तर पर वादीगण द्वारा
 वापिस लिया जा सकता है। अतः वादीगण
 को दावा विद्वो की अनुमति दी जाती है।
 दावा वादीगण विद्वो के माध्यम पर एवं काउण्टर
 क्लेम प्रतिवारी संख्या 2 जोरपेस के माध्यम
 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फर संख्या
 अरुण कुमार होकर दाखिल रफ्तार है।

Sanjay Pathak
 No. 1st
 counter
 claim